333/2023

11.11.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 व 6,7 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 18.1.2024 एवं मूल आवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 18.1.2024 का निस्तारण किया जा रहा है। जिसमें पाया कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 18.12.2023 के द्वारा प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखनें का स्थगन आदेश पारित किया था। जबकि विवादित आराजी की जमाबंदी में सभी काश्तकार पर स्थगन आदेश का नोट अंकित किया गया,जो कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की मंशा के विपरीत नोट दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थना'पत्र प्रस्तुत दिनांक 18.1.2024 स्वीकार की जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 18.12.2023 मुताबिक प्रार्थी शंकर पुत्र लादूजी के हिस्से तक ही स्थगन आदेश पारित हो रखा है,का ही जमाबंदी में नोट दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही उक्त स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है,ताकि पक्षकारान के मध्य वाद–विवाद आगे ओर नहीं बढे। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 18.12.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा 11.11.2024	